

सं.-ए .18(1)/2021/स्था-एक /70-73

भारत सरकार
केंद्रीय जल आयोग
स्थापना-एक अनुभाग

तृतीय तल (द0), सेवा भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 11/03/2021

सेवा में,

वेतन एवं लेखा अधिकारी,
केंद्रीय जल आयोग,
सेवा भवन, आर0 के0 पुरम,
नई दिल्ली।

विषय :- बाल शिक्षा भत्ते (CEA) स्वीकृति हेतु।

महोदय,

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या: ए-27012/02/2017-स्था0 (भत्ता), दिनांक 16.07.2018 के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों को नीचे दिये गए विवरण के अनुसार शिक्षा सत्र 2019-20 में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक संतान शिक्षण भत्ता के भुगतान के लिए मंजूरी प्रदान की जाती है।

क्र. सं	बच्चे का नाम व जन्म तिथि	कक्षा व स्कूल का नाम	संतान शिक्षण भत्ता दावे की अवधि	कुल देय राशि
a)	Shri Padma Dorje Gaymba, Chief Engineer, POMIO			
1.	Sepheh Gyamba 10.09.2004	कक्षा IX Loreto Convent School, Shimla 171003	04/2019 से 03/2020 तक	रु. 26,400/-
b)	Shri Manoj Kumar, Director (CADWM)			
1.	Vaibhavi Arya 08.03.2010	कक्षा V Presidium Indirapuram Gaziabad up 201014	04/2019 से 03/2020 तक	रु.27,000/-

अभिषेक चौहान
16/03/2021

c)	Shri Smrth Lal Meena, Director			
1.	Nandini Meena 27-11-2004	कक्षा X N.K Bagrodiya Globla School, Dwarka, New Delhi	04/2019 से 03/2020 तक	रु.27,000/-
2.	Samayara Meena 21-10-2007	कक्षा VI The Indian Heights School, Dwarka, New Delhi	04/2019 से 03/2020 तक	रु.27,000/-
कुल रुपये (a+b+c) = Rs. 107400/- (रुपये एक लाख सात हजार चार सौ)				रु- 107400/-

1. प्रमाणित किया जाता है कि उक्तवर्णित शिक्षणवर्ष के दावे का भुगतान इसके पूर्व नहीं किया गया है।
2. उपयुक्त वर्णित विधालय संबन्धित शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है।
3. उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतर्गत, लेखा शीर्ष: 2701, 80-006-11-Consultancy (NP) 01-00-01- वेतन में समायोजित होगी।

This issues in supersession of CWC order No. 18/ (1)/2021/स्था-एक/62-65.

भवदीय,

संजय सिंह चौहान / 10-03-2021
(संजय सिंह चौहान)

अवर सचिव, स्थापना-एक

प्रतिलिपि:-

1. अनुभाग अधिकारी, लेखा-3, अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. कार्यालय आदेश फॉल्डर।
3. CWC के वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।